19/7/[illegible] प्रार्थना बाबत मिसल तलब किये
जाने व प्रार्थना बाबत आपत्ति
निरस्तगी विचार किये जाने का
पेश होने पर पत्रावली पेश हुई।
वादी का वाद दस्तावेज़ प्रमाण में
पेश करने की अनुमति का निर्णय विचार
किया जा चुका है अतः TI प्रार्थना
के चलते का कोई औचित्य नहीं
है अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र
आपत्ति निरस्तगी विचार किया जाता
है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से
कम की जावे आमिल मुताबिक हो।